

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5753142 पटना,

दिनांक 12.06.26

ग्रा0वि0-6-बजट/05-05/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय: - वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मूल बजट उपबंधित राशि रु0 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात् रु0 2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. सतत् जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य, देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं ब्रिकी में पारंपरिक रूप से जुड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है । इस निमित्त ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प जापांक-372432 दिनांक-31.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस योजना को राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आगामी तीन वर्षों के लिए लागू किया गया । विभागीय संकल्प 551603 दिनांक-03.09.2021 द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को तीन वर्षों, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनः विभागीय संकल्प सं0-2265379 दिनांक-09.11.2023 द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक विस्तारित करने एवं विस्तारित अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित व्यय रु0 3032.00 करोड़ (तीस अरब बत्तीस करोड़) तथा योजनान्तर्गत लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु प्रति परिवार निवेश की अधिकतम सीमा को 1 (एक) लाख रुपये से बढ़ाकर 2 (दो) लाख रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. मांग संख्या-42 के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए कुल राशि रु0 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) का मूल बजट उपबंध है। वित्त, विभाग के पत्रांक-380 दिनांक-20.04.2026 द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों को राज्य स्कीम (01 एवं 05 से शुरू होने वाले उपशीर्ष) में 33 प्रतिशत तक शिथिल किया गया है।

4. उक्त के आलोक में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मूल बजट उपबंधित राशि रु0 7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात् राशि रु0

2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) की निम्नवत् विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	मद एवं विपत्र कोड़ (विषय शीर्ष सहित)	मूल बजट उपबंधित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	5
1	मुख्य शीर्ष-2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 102, सामुदायिक विकास, उप शीर्ष- 0119 सतत् जीविकोपार्जन योजना विपत्र कोड 42-2515001020119,31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद)	7500.00 लाख	2475.00 लाख
	कुल-	7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़)	2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख)

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि रु0 2475.00 लाख (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत की जायेगी ।

6. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन पटना से की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SJY, Indian Bank, Account No.-6719021284, IFSC Code-IDIB000N087, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0एल0पी0एस0 इस राशि का व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग, बिहार/महालेखाकार, बिहार एवं इस विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।

7. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. वित्त विभाग के प्ररिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-05/2026 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-03 /टि0 पर दिनांक-10/06/2026 को प्राप्त है ।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग) का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-05/2026 के टिप्पणी पृष्ठ सं0-03-टि0 पर दिनांक-11/06/2026 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

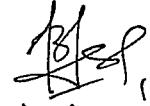

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 5753142

पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना / विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-6/लेखा शाखा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 5753142

पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


12/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव